

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
-सह-

विशेष कार्य पदा0, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष -4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-051- निर्माण-0104- भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालय कक्ष के निर्माण-5301- मुख्य निर्माण कार्य, माँग सं0-40, विपत्र कोड पी-4047000510104 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि का आवंटन। (राज्य स्कीम कोड REV-5656)

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-348(8)/रा0 दिनांक-03.11.2014 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत नीचे अंकित ग्यारह अनुमण्डलों में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालय/कार्यालय कक्ष के निर्माण हेतु उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित स्वीकृत राशि कुल 3,20,65,910/- (तीन करोड़ बीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ दस) रूपये मात्र वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्न रूप से आवंटित किया जाता है :-

क्र0	जिला का नाम	न्यायालय कक्ष के निर्माण हेतु चयनित अनुमंडल	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	1 मसौढ़ी	29,89,015	29,89,015
		2 दानापुर	29,89,015	29,89,015
		3 बाढ़	29,89,015	29,89,015
2	भागलपुर	4 नवगछिया	29,89,015	29,89,015
3	बक्सर	5 बक्सर सदर	29,89,015	29,89,015
4	शिवहर	6 शिवहर सदर	29,89,015	29,89,015
5	जहानाबाद	7 जहानाबाद सदर	29,89,015	29,89,015
6	शेखपुरा	8 शेखपुरा सदर	29,89,015	29,89,015
7	समस्तीपुर	9 समस्तीपुर	29,89,015	29,89,015
		10 रोसड़ा	29,89,015	29,89,015
		11 दलसिहसराय	21,75,760	21,75,760
कुल योग:-				3,20,65,910

(तीन करोड़ बीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ दस) रूपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त प्रासंगिक शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561वि०(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में तथा पत्रांक-6720 (वि०) दिनांक-25.07.14 के आलोक में किया जा रहा है।
4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर माँग सं०, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
5. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउंट में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित किया जायेगा।
6. राशि का व्यय किसी परिस्थिति में अन्य विभाग के भवनों का निर्माण/ मरम्मती के कार्य पर नहीं की जाय।
7. राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
8. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी, कोषागार प्रमाणक सं० एवं तिथि के साथ माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
9. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण एवं डी०सी० बिल B.TC. Form-27B में Col-18 तक भरकर महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।
10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....पटना-15, दिनांक-.....


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....48 (5).....पटना-15, दिनांक-11.11.14.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/ समाहर्ता, पटना/ भागलपुर/ बक्सर/ शिवहर/ जहानाबाद/ शेखपुरा/ समस्तीपुर/ कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ विभागीय लेखा शाखा-2 (दो प्रतियों में) एवं प्रशाखा-8 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

